Ref.No.: RAc/Mtg./AC 23.07.2020/2020-21/ Dated: August 4, 2020

NOTIFICATION

I am directed to notify the following recommendations of the Academic Council (ACR No.1 dated 27.07.2020), duly approved by the Executive Council (Item No.1 ECR No.197 dated 31.07.2020):

1. "Sessionals for the students of intermediate semester/terminal semester during academic session 2019-20:
   (i) Different components of sessionals may be substituted by 'Assignment' based assessment.
   (ii) The students may be given assignment by 31st July 2020 with a time frame of fifteen days for its completion. The assignment may be given by the teacher concerned to the students of his/her class over email. The students can submit the assignment to the concerned teacher over email. After evaluation (in 30 marks), the marks of sessionals would be uploaded by the teacher concerned on the portal latest by 31st August, 2020. To bring in uniformity in standards of 'Assignment' across different courses run by a Faculty and within a course (which is taught by different teachers in different batches/locations), prior discussion at the Faculty/Department level needs to be done.
   (iii) In such courses where sessionals have been fully or partly completed before the University closed in middle of March 2020, students may be given the option of opting for 'Assignment' based sessionals as aforesaid. In case they opt 'Assignment' based sessionals, marks obtained by them in previously held sessionals may be compared with the marks obtained by them in 'Assignment' based sessionals and the better of the two may be taken. This will bring in uniformity.
   (iv) The distribution of weightage of sessionals and end semester examination for the students of terminal semesters be fixed as 30:70.
   (v) Keeping in view the UGC Guidelines, dated 29.04.2020 and 08.07.2020, the distribution of weightage of sessionals and end semester examination for students of intermediate semesters be fixed as 50:50.

2. Promotion of students of Intermediate semesters (2nd, 4th, 6th and 8th Semesters) of academic session 2019-20 to higher semesters (3rd, 5th, 7th and 9th Semester, respectively) of 2020-21.
   (i) In relaxation of the provisions of existing Ordinances of the courses on necessity of obtaining 4.0 CGPA for promotion to higher year of the course, students of intermediate semesters of academic session 2019-20 would by promoted to higher semesters during the academic session 2020-21.
   (ii) For the students of intermediate semesters of academic session 2019-20, no end semester examinations would be conducted. Their grade sheet for the 2nd/4th/6th/8th semester, as the case may be, shall be prepared in the following manner:
      a) Marks against the sessional component of 50 marks would be based on evaluation of 'Assignment', as described above.
      b) Marks against end semester component of 50 marks would be based on the performance of the student in the preceding semester. For example, if SGPA of a student (of 4th semester during 2019-20) in 3rd semester was 8.21, his/her percentage of marks using the conversion formula [% of marks = 10 x CGPA - 4.5] becomes 77.60% which can be apportioned against 50 marks.
   (iii) In case a student is not satisfied by the marks obtained by him/her in the even semester course(s) of academic session 2019-20, derived in the aforesaid manner, he/she may improve the grades by appearing in the next available examination of such courses in succeeding academic session(s).
   (iv) The students of the intermediate semesters having backlog of earlier semester will be required to clear the examination of the course in which he/she has failed/remained absent, whenever the examination is held next."

Accordingly, relevant provisions of the Ordinances governing concerned courses stand amended to the aforesaid extent with immediate effect with applicability of the Ordinances, so amended, for the students of even semester of academic session 2019-20 only.

All the concerned are requested to take immediate necessary action accordingly.

DEPUTY REGISTRAR (ACADEMIC)

Ref.No.: RAc/Mtg./AC 23.07.2020/2020-21/ Dated: August 4, 2020

Copy forwarded to the all the concerns for information and necessary action:

1. The Director, Institute of Science/ Environment & Sustainable Development/ Management Studies/Institute of Agricultural Sciences.
2. The Dean of the Faculties, Arts/Social Sciences/Law/Performing Arts/Visual Arts/Education/Management Studies/Science/Commerce/ Agriculture/Veterinary Sciences/SVDV/ Environment & Sustainable Development **with the request to circulate this notification amongst all the Faculty Members of their respective Faculties.**
3. The Principal, MMV
4. The Controller of Examinations
5. The Joint Registrar (Exams.)
6. The P.S. to the Registrar
7. The PRO for necessary action

Banaras Hindu University

DEPUTY REGISTRAR (ACADEMIC)

VARANASI – 221 005
T: (0542) 2307273, 2368896, 6701704
F: (0542) 2368174;
E: dracademic.bhu@gmail.com
W: www.bhu.ac.in

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय BANARAS HINDU UNIVERSITY
AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE ESTABLISHED BY AN ACT OF PARLIAMENT
कार्यालय कुलसचिव (शिक्षण)
OFFICE OF THE REGISTRAR (ACADEMIC)

संदर्भ सं. : RAc/Mtg./AC 23.07.2020/2020-21/ दिनांक : 4 अगस्त, 2020

अधिसूचना

मुझे कार्यकारिणी परिषद (मद संख्या- 1 ई सी आर संख्या.197 दिनांक 31.07.2020) द्वारा विधिवत अनुमोदित शैक्षणिक परिषद की निम्नलिखित संस्तुतियां (ACR सं.1 दिनांक 27.07.2020) अधिसूचित करने का निदेश हुआ है :

1. "(C) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान मध्यवर्ती सेमेस्टर / अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेशनल (सत्रीय) परीक्षा:

(i) सेशनल के विभिन्न घटकों के स्थान पर 'असाइनमेंट' आधारित मूल्यांकन किया जा सकता है। (ii) छात्रों को 31 जुलाई, 2020 तक असाइनमेंट दिया जाए जिसे पूरा करने के लिए पंद्रह दिनों की समय सीमा निर्धारित होगी। संबन्धित शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों/छात्राओं को असाइनमेंट उनके ईमेल पर भेजें। छात्र/छात्राएँ अपना असाइनमेंट ईमेल द्वारा संबंधित शिक्षक को भेज सकते हैं। मूल्यांकन के बाद (30 अंकों में), संबंधित शिक्षक द्वारा सेशनल के अंक 31 अगस्त, 2020 तक पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। संकाय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में और एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत (जो अलग-अलग बैच / स्थानों में अलग-अलग शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है) 'असाइनमेंट' के मानकों में एकरूपता लाने हेतु संकाय/विभाग स्तर पर पूर्व चर्चा किया जाना आवश्यक है।

(iii) ऐसे पाठ्यक्रमों में जहाँ मार्च, 2020 के मध्य में विश्वविद्यालय बंद होने से पहले सेशनल परीक्षाएँ पूर्ण या आंशिक रूप से संपन्न करा ली गई हैं, छात्रों को उक्त 'असाइनमेंट' आधारित सेशनल के चयन का विकल्प दिया जाए। यदि वे 'असाइनमेंट' आधारित सेशनल का विकल्प चुनते हैं, तो पहले से आयोजित सेशनल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना उनके द्वारा 'असाइनमेंट' आधारित सेशनल में प्राप्त अंकों के साथ की जाए और दोनों में से जो भी उच्चतर हो उसे स्वीकार किया जाए। इससे एकरूपता बनी रहेगी।

(iv) अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेशनल और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के भारांक (वेटेज) का वितरण 30:70 के रूप में निर्धारित किया जाए।

(v) यूजीसी के दिनांक 29.04.2020 और 08.07.2020 के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए सेशनल और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के भारांक (वेटेज) का वितरण 50:50 के रूप में निर्धारित किया जाए।

2. (d) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मध्यवर्ती सेमेस्टर (दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर) के छात्रों का 2020-21 के उच्चतर सेमेस्टर (क्रमशः तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर) में प्रोन्नति।

(i) पाठ्यक्रम के उच्चतर वर्ष में प्रोन्नति के लिए 4.0 सीजीपीए प्राप्त करने की अनिवार्यता वाले मौजूदा अध्यादेशों के प्रावधानों में छूट के अंतर्गत, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान उच्चतर सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

(ii) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए कोई अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दूसरे /चौथे/छठें /आठवें सेमेस्टर, जैसा भी मामला हो, के लिए उनकी ग्रेड शीट निम्नलिखित तरीके से तैयार की जाएगी:

क) 50 अंकों के सेशनल के अंक उपरोल्लखित असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन पर आधारित होंगे,

ख) 50 अंकों के अंतिम सेमेस्टर के अंक पूर्ववर्ती सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि तीसरे सेमेस्टर में किसी छात्र (2019-20 के दौरान 4 वें सेमेस्टर का) का SGPA 8.21 था, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत रूपांतरण

VARANASI – 221 005
T: (0542) 2307273, 2368896, 6701704
F: (0542) 2368174;
E: dracademic.bhu@gmail.com
W: www.bhu.ac.in

फार्मूला [अंकों का% = 10 x CGPA - 4.5] का उपयोग करते हुए 77.60% हो जाता है जिसे 50 अंकों के सापेक्ष विभाजित किया जा सकता है।

(iii) यदि कोई छात्र शैक्षणिक सत्र 2019-20 के सम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में उपरोक्त तरीके से प्राप्त अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह आगामी शैक्षणिक सत्रों में उपलब्ध ऐसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा में उपस्थित होकर अपने ग्रेड में सुधार कर सकता है।

(iv) पूर्ववर्ती सेमेस्टर में बैकलॉग वाले मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्र जिस पाठ्यक्रम की परीक्षा में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहें हैं, उन्हें उस परीक्षा के पुनः आयोजित होने पर उसे उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

तदनुसार, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के केवल सम सेमेस्टर के छात्रों के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों से संबद्ध अध्यादेशों के प्रासंगिक प्रावधान उपरोक्तानुसार अध्यादेश की प्रयोज्यता के साथ तत्काल प्रभाव से संशोधित किए जाते हैं।

इसके अलावा, सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

यह अधिसूचना मूल रूप से अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी रूपांतरण है, किसी भी विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रियंका न त्रिवेदी
उप कुलसचिव (शिक्षण)

संदर्भ संख्या.: RAc/Mtg./AC 23.07.2020/2020-21/ दिनांक: 4 अगस्त, 2020

समस्त संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रसारित:

1. निदेशक, विज्ञान संस्थान/पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान/प्रबंध शास्त्र संस्थान /कृषि विज्ञान संस्थान
2. संकाय प्रमुख, कला/सामाजिक विज्ञान/विधि/मंच कला/दृश्य कला/शिक्षा/प्रबंध शास्त्र/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि/पशु विज्ञान/एसवीडीवी संकाय/ पर्यावरण एवं धारणीय विकास संकाय- इस निवेदन के साथ कि इसे सभी संकाय सदस्यों में प्रसारित करें
3. प्राचार्या, महिला महाविद्यालय
4. परीक्षा नियंता
5. संयुक्त कुलसचिव (परीक्षा.)
6. कुलसचिव के वैयक्तिक सचिव
7. जन सूचना एवं संपर्क अधिकारी - आवश्यक कार्रवाई हेतु
   काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

प्रियंका न त्रिवेदी
उप कुलसचिव (शिक्षण)

VARANASI – 221 005
T: (0542) 2307273, 2368896, 6701704
F: (0542) 2368174;
E: dracademic.bhu@gmail.com
W: www.bhu.ac.in